रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 798] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 24, 1999/पौष 3, 1921
No. 798] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 24, 1999/PAUSA 3, 1921

DELHI LIBRARY

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 1999

का० आ० 1288 (अ).—केन्द्रीय सरकार, यह अभिनिश्चित करने की दृष्टि से यह आवश्यक समझती है कि उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) के अधीन किन आनुषंगिक और लघु औद्योगिक उपक्रमों को निम्नलिखित के लिए प्रभावकारी होने में उनकी जीवन क्षमता और सामर्थ्य बनाए रखने में समर्थ करने के लिए अनुपोषक उपायों, छूट या अन्य अनुकूल व्यवहार की आवश्यकता है :-

(क) देश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था का सामंजस्य नीति से संवर्धन करना और बेकारी की समस्या को कम करना, और

(ख) यह सुनिश्चित करना कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो, जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो;

और केन्द्रीय सरकार उक्त प्रयोजन के लिए भारत सरकार के पूर्व उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) के तारीख 10 दिसंबर, 1997 के का.आ. 857 (अ) में दिए गए आदेश का संशोधन करना आवश्यक समझती है;

और अधिसूचित आदेश के उक्त संशोधन की एक प्रारूप प्रति को उक्त अधिनियम की धारा 11 ख की उपधारा (3) के अधीन यथापेक्षित तीस दिन की अवधि के लिए संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा गया था;

और संसद के दोनो सदनों द्वारा प्रस्तावित अधिसूचित आदेश के प्रारूप में किसी उपांतरण का सुझाव नहीं दिया गया है ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 11 ख की उप धारा (1) और धारा 29 ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के पूर्व उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 857(अ) तारीख 10 दिसम्बर, 1997 में दिए गए आदेश में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त आदेश में, -

(क) लघु औद्योगिक उपक्रम से संबंधित पैरा में 'तीन करोड़ रुपए' शब्दों के स्थान पर 'एक करोड़ रुपए' शब्द रखे जाएंगे; और

(ख) आनुषंगिक औद्योगिक उपक्रम से संबंधित पैरा में 'तीन करोड़ रुपए' शब्दों के स्थान पर 'एक करोड़ रुपए' शब्द रखे जाएंगे; ।

[सं०10(6)97-आई०पी०]

अशोक कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :— मुख्य अधिसूचित आदेश भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), असाधारण में तारीख 11 दिसम्बर, 1997 को प्रकाशित किया गया था ।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

ORDER

New Delhi, the 24th December, 1999

S. O. 1288 (E).— Whereas the Central Government considers it necessary with a view to ascertain which ancillary and small scale industrial undertakings need supportive measures, exemption or other favourable treatment under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) (herein after referred to as the said Act) to enable them to maintain their viability and strength so as to be effective in-

(a) promoting in a harmonious manner the industrial economy of the country and easing the problem of unemployment, and

(b) securing that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good;

And whereas the Central Government considers it necessary to amend the order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) number S.O. 857(E), dated the 10th December, 1997 for the said purpose:

And whereas a copy of the said amendment of the notified order in draft was laid before each House of Parliament for a period of thirty days as required under sub-section (3) of section 11B of the said Act;

And whereas no modification in the draft of the proposed notified order has been suggested by both the Houses of Parliament;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11B and sub-section (1) of section 29B of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following amendments in the Order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Industry, Department of Industrial Policy and Promotion number S.O. 857 (E), dated the 10th December,1997, namely:-

In the said Order,-

(a) in the paragraph relating to Small Scale Industrial Undertaking, for the words "rupees three crores", the words "rupees one crore" shall be substituted; and

(b) in the paragraph relating to Ancillary industrial undertaking, for the words "rupees three crores", the words "rupees one crore" shall be substituted.

[No. 10(6)/97-IP]

ASHOK KUMAR, Jt. Secy.

Note :—The Principal notified order was published in the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (ii), Extraordinary dated the 11th December, 1997.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054